(घ) महाराष्ट्र से बाहर की उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें बाम्बे हाई में उपलब्ध अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त समझा गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा पंजाब और दक्षिणी राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र ने 30 एम एम एस सी एम डी अतिरिक्त गैस की आवश्यकता की सूचना दी है, बिहार ने 6 एम एम एस सी एम डी मांग दर्शाई है और राजस्थान ने 20 एम एम एस सी एम डी गैस की मांग की सूचना दी है। अन्य राज्यों ने निश्चित यात्रा नहीं बताई। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस का पूर्णतः आबंटन किया जा चुका है तथा अतिरिक्त आबंटन के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा सकता।

(घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से गैस का आबंटन निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को किया जा चुका है:

(एम एम एस सी एम डी)

राज्य / उपभोक्ता	आबंटन
महाराष्ट्र	
एम एस ई बी (उरन)	4.50
टी ई सी (ट्रांबे)	1.50
गुजरात	
एन टी पी सी (कावास)	2.19
राजस्थान	
एन टी पी सी (अन्ता)	1.71
एन टी पी सी (अन्ता अतिरिक्त)	0.24
उत्तर प्रदेश	
एन टी पी सी (औरैया)	2.19
एन टी पी सी (दादरी)	2.93
दिल्ली	
डेसू (इन्द्र प्रस्थ)	0.59
डेसू (बवाना)	1.95
हरियाणा	
एन टी पी सी (फरीदाबाद)	1.95

Introduction of will Technology

2356. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2180 given in the Rajya Sabha on 23rd August, 1995 and state:

(a) the present status of the WILL trial project;

(b) whether the figure of cost per line of $ 1,760/- is all inclusive as installed or commissioned or merely the FOB import price, if so, what is the total installed and commissioned cost per line;

(c) by when it will be possible to induct the technology in the DOT network;

(d) what is the project cost per line on bulk induction and what will be the counter vailing savings;

(e) whether the technology requires power supply at the subscriber premises; and

(f) the steps proposed to ensure continuity of service in the event of power supply interruption?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) Supply of equipment will commence from January, 1966 and systems are expected to be offered for evaluation during March, 1996.

(b) $ 1760 is the total installed and commissioned cost per line.

(c) Telecom Commission has planned induction of technology in DOT network during 1996-97.

(d) There is wide disparity in projected cost per line of WILL equipment by different suppliers / technology. However, it is expected to be much lower than $ 1760 at the time of bulk induction through global tenders.

(e) Yes, Sir, the technology requires power supply at the subscriber premises.

(f) In the event of interruption to public power supply, provision of back up

battery exists in the subscriber instrument.

Error on the number of paragraphs in the Vohra Committee's Report

2357. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an error in the number of paragraphs in the Vohra Committee's report as reported in the Statesman dated 21st November, 1995; and

(b) if so, when the error came to notice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY ~~RA~~ZI): (a) and (b) Vohra Committee Report had certain errors in correct serialised numbering of paras. As the error was in the original report signed by Shri N. N. Vohra, no corrections were made in this regard.

श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की रक्षा

2358. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका में जाफना में पुलिस कार्यवाही के दौरान भारतीय मूल के कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) सरकार द्वारा श्रीलंका में भारतीय मूल के निर्दोष नागरिकों की रक्षा हेतु कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार इस समस्या के हल के लिए श्रीलंका सरकार से बातचीत कर रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) भारत, श्रीलंका में जातीय मसलों के शान्तिपूर्ण राजनीतिक रक्षा समाधान का सदैव पक्षधर रहा है जिससे श्रीलंका के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। सरकार का विचार है कि यह मामला श्रीलंका की सरकार और वहां के लोगों को ही सुलझाना चाहिए।

गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतें

2359. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य में विशेषत: जामनगर, सूरत और वापी में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के संबंध में किन्हीं प्रमुख औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसे प्रमुख उद्योगों द्वारा प्रतिदिन कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) जामनगर, सूरत और वापी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों सहित गुजरात में कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें प्राथमिक रूप से अशोधित बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन से संबंधित हैं जिनसे इन क्षेत्रों के जल निकायों, वायुमण्डल और भूमि के प्रदूषित होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक निश्चित समय सीमा के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 76 औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित मानकों का पालन न करने के कारण पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्देश जारी किए हैं।

2. वापी और अंकलेश्वर की अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है और इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की गई है।

3. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार 17 उद्योग श्रेणियों से संबंधित 177 इकाइयों में से 167 इकाइयों ने मानकों के अनुपालन हेतु समुचित सुविधाएं स्थापित कर ली हैं।